



Neutral Citation Number– 2026:AHC:60356

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8736/2026

पड़ोही और एक अन्य

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: रिचेश मिश्रा

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. प्रथम सूचनाप्रदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मौर्य ने प्रथम सूचनाप्रदाता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में लिया गया है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रिचेश मिश्रा, प्रथम सूचनाप्रदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मौर्य तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. मुकदमा अपराध संख्या-376/2025 धारा 103(2), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना-बेलीपार, जिला-गोरखपुर में विचारण के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने के प्रार्थना के साथ तत्काल जमानत आवेदन दायर किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक सह-आरोपी के साथ प्रथम सूचनाकर्ता के घर में घुस आया और उसके पति को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के दौरान, सह-आरोपी विजयानंद ने मृतक (प्रथम सूचनाकर्ता के पति) पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप वह ज़मीन पर गिर गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, हालाँकि यह आरोप है कि तीनों अभियुक्तों ने मृतक को पीटा था, लेकिन मृतक की शव-विच्छेदन रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे केवल एक ही चोट किसी धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से लगी थी; इसलिए, जानलेवा चोट पहुँचाने का विशिष्ट आरोप सह-अभियुक्त विजयानंद पर लगाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं है, इसलिए आवेदकों को झूठा फँसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो उन्हें दोषी साबित करता हो। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदकों ने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें केवल एक मामला शामिल है जो कि मामूली प्रकृति का है, और वे दिनांक 01.12.2025 से जेल में बंद हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य पर तक-वितर्क नहीं कर सके।

7. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में रिपोर्ट किया गया** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इस मत का हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **पड़ोही और लालधर** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदकगण, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदकगण बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।
- iii. आवेदकगण जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और न ही कोई अपराध करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iv. आवेदकगण अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होंगे।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व की जाएगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा; साथ ही, यह वचन दिया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

11. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4, 2021 के तहत दिनांक 31.01.2023 को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

24 मार्च, 2026

ए.कुमार

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"